निबंधन संख्या पी0टी0-40

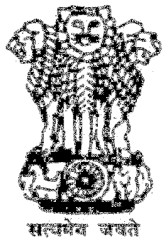

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 30 पटना, बुधवार, 21 श्रावण, 1931 (श0) / 12 अगस्त, 2009 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	3-4
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन, सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचनाएं

29 जुलाई 2009

सं० वि0प्रा0 (I) व^{2}–55/2005–2065—प्रो० अशोक कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्राध्यापक, विद्युत अभियंत्रण, एम०आई०टी०, मुजफ्फरपुर के द्वारा सरकार की स्पीकृति के बिना निजी संस्थान मौलाना आजाद अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय, पटना में योगदान कर दिनांक 17 सितम्बर 1999 से दिनांक 2 अप्रील 2001 तक कार्य करने की अवधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

उक्त अवधि का सेवा में टूट नहीं माना जायेगा तथा सेवा निवृति लाभों के निमित्त इसकी गणना नहीं की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव।

29 जुलाई 2009

सं० वि0 प्रा0 (I) व^{2}–55/2005–2066—बिहार सेवा संहिता के नियम–74 (ख) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रो० अशोक कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्राध्यापक, विद्युत अभियंत्रण, एम०आई०टी०, मुजफ्फरपुर को दिनांक 12 अप्रील 2002 के प्रभाव से स्वेच्छा से सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार श्री सिन्हा को सेवानिवृति लाभों का भुगतान देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

मुख्य अभियंता का कार्यालय
जल संसाधन विभाग, सिवान।

कार्यालय आदेश
24 जुलाई 2009

सं०–1स्था0अनु0–12–101/2009–64––समाहर्ता–सह–अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति ,सिवान के पत्रांक 513 स्था0, दिनांक 4 जुलाई 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 22 जून 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री तारकेश्वर यादव, पिता0 स्व0 रामचन्द्र प्रसाद, भूतपूर्व, अनुसेवक, सारण नहर प्रमंडल आन्दर मुख्यालय सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रूपये 2550–55–2660–60–3200 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज के कार्यालय में दिनांक 20 अगस्त 2009 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 रामचन्द्र प्रसाद के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्री तारकेश्वर यादव पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर तारकेश्वर यादव की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण–पत्र एवं वास्तविक जन्म–तिथी से संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री तारकेश्वर यादव, से भरण–पोषण–पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप–सचिव, वित्त विभाग के पत्रांक 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदान पेंशन योजना लागू होगा ।

राम पुकार रंजन,
मुख्य अभियंता।

24 जुलाई 2009

सं0–1स्था0अनु0–12–101 / 2009–65––समाहर्ता–सह–अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 513 स्था0, दिनांक 4 जुलाई 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 22 जून 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री वकील चौधरी, पिता स्व0 राज मंगल चौधरी, भूतपूर्व कैनाल मेठ, सारण नहर प्रमंडल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रूपये 2550–55–2660–60–3200 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल सिवान के कार्यालय में दिनांक 20 अगस्त 2009 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 राज मंगल चौधरी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्री वकील चौधरी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर वकील चौधरी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण–पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथी से संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री वकील चौधरी, से भरण–पोषण–पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप–सचिव, वित्त विभाग के पत्रांक 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदान पेंशन योजना लागू होगा ।

राम पुकार रंजन,
मुख्य अभियंता।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21-571+40-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in